न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—39 / 19 (2019 / 00038) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नेना पिता कालुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—बादु पिता कालुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—भैरूनाथ पिता हेमनाथ ना.बा. जरिये माता सीता बेवा हेमनाथ जोगी नि.मियाला त.रायपुर
2—डालुनाथ पिता हेमनाथ ना.बा. जरिये माता सीता बेवा हेमनाथ जोगी नि.मियाला त.रायपुर
3—तारा पुत्री हेमनाथ ना.बा. जरिये माता सीता बेवा हेमनाथ जोगी नि.मियाला त.रायपुर
4—सीता बेवा हेमनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—मुलनाथ पिता भीमानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—गोरर्धननाथ पिता भीमानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—भोली बेवा भीमानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट.

निर्णय

दिनांक 12.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ के बैरून हल्के आबादी में हाल आराजी संख्या 184 रकबा 0.62 है0, स्थित है। इसी प्रकार आराजी संख्या 189 रकबा 0.47 है0 स्थित है। यह है कि चरण 1 में अकिंत आराजी नम्बर 184 के साबिक नम्बर 115मीन रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा है इसी प्रकार आराजी संख्या 189 के साबिक नम्बर 115मीन थे जिसके लिये साबिक जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 द्वारा उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी कराई गई जिसके प्रकरण संख्या 131 / 17 है जिसमें न्यायालय आप द्वारा पत्थरगढ़ी करने का आदेश दिया गया जिसमें भी मोकापर्चा में उक्त आराजी संख्या 184 रकबा 0.62 है0 मे से 0.19 है0 भूमि व 189 रकबा 0.47 है0 मे से 0.05 है0 भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होना दर्शित किया हुआ है तथा विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 को पाबन्द किया हुआ है कि विधिवत न्यायालय के माध्यम से कब्जा प्राप्त करे व प्रार्थीगण के कब्जे में किसी प्रकार की दंखलदाजी नही करे। विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से न्यायालय आपमें एक समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 183 काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर रखा है जिसके प्रकरण संख्या 88 / 17 विचाराधीन है। अतः निवेदन है कि न्यायहित में ताफैसला वाद प्रार्थीगण के पक्ष में विरूद्व विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना आवश्यक व न्यायोचित है कि प्रार्थना पत्र की चरण 1 में वर्णित ग्रम मियाला की आराजी संख्या 184 व 189 में प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करे, न प्रार्थीगण का कब्जा हटावे, न अन्य को विक्रय करे, न श्रणभार बढ़ावे, यह कृत्य न तो स्वयं करे न अन्य से करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षीगण की और से अधिवक्ता हरिश टेलर उपस्थित है तथा विपक्षी की ओर से अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थीगणो का विगत 50 वर्षो से कब्जा नही है बल्कि दिनांक 10.04.2017 को प्रार्थीगण द्वारा कब्जा जबरन किया है। मूल प्रकरण विचाराधीन है एवं बन्दोबस्त में कोई त्रुटि नही हुई है। विपक्षीगण भूमियो के खातेदार है तथा अतिक्रमियो को खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकार

नही है। तथा प्रार्थीगणो का उक्त भूमियो कोई लेना देना है किन्तु जबरन कब्जा करके स्थगन लेना चाहते है। ओर अन्त में निवदेन किया कि वाद खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस की और प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया गया।

इसी के साथ विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षीगण खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगण का कब्जा है ओर प्रार्थी उक्त भूमियो के अतिक्रमी है मूल प्रकरण साक्ष्य वादी में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें

मैने अधिवक्ताओ की बहस सुनी व पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण खातेदार नही है ओर विपक्षी के नाम दर्ज भूमि पर कबिज है विपक्षीगण द्वारा अर्न्तगत धारा 183, 179 एवं 188 का प्रकरण पेश कर रखा है जो विचाराधीन होकर साक्ष्य में है उस प्रकरण का अवलोकन किया उस प्रकरण में प्रार्थी (प्रतिवादी 1 व 2) नेना ओर बादु के द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि जवाबदाता के पूर्वज कालु रावल द्वारा आराजी नम्बर 184 रकबा 0.62 है0 में से 0.19 है0 एवं आराजी नम्बर 189 रकबा 0.47 है0 मे से 0.05 है0 भूमि वादीगण के पूर्वज भीमारावल से सवंत 2034 जेठ सुदी 6 दिनांक 24.05.1977 को बिल ऐवज 155 रूपये में खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है तभी से प्रार्थी काबिज है ओर अन्त में निवेदन किया कि वादीगण का वाद आधारहीन होने से खारीज फरमावे।

चुकिं जब वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रार्थी (विपक्षी प्रार्थीगण) द्वारा जबाव में जो तथ्य अकिंत किये गये है उन्ही तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये था किन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई भी तथ्य अकिंत नही किया ओर यह भी नही दर्शाया की कब्जा किस हैसियत से है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण स्वच्छ मन से प्रार्थना पत्र पेश नही कर किया गया है।

मूल प्रकरण 88/17 साक्ष्य हेतु विचाराधीन है वादीगण अन्तर्गत धारा 183 के तहत् कब्जा प्राप्त करना चाह रहे है इससे यह स्पष्ठ प्रमाणित है कि मौके पर कब्जा विपक्षीगण का है ओर अगर वादीगण विपक्षीगण से कब्जा जबरदस्ती ले सकते तो कब्जा प्रप्त करने हेतु न्यायालय में वाद पेश नही करते इससे यह भी प्रमाणित है कि वादीगण कानुनी रूप से कब्जा प्राप्त करना चाह रहे थे न कि बल पूर्वक।

प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो अपूर्ण तथ्यो के आधार पर है तथा धारा 212 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का है जबकि स्थाई निषेधाज्ञा के तहत् कोई अलग से वाद प्रस्तुत नही किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा बिना किसी वाद के अन्तर्गत धारा 212 का प्रार्थना प्रस्तुत किया है जो अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.3.2020

(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.30 15:59:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: